भूमंडलीकरण के दौर में ग्रामीण आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान एवं उसके समक्ष चुनौतियाँ

डॉ. सुरेन्द्र यादव*

सार–संक्षेप–भारत पुरूष प्रधान देश है लेकिन देश के गौरव को ऊँचा उठाने एवं पुरूषों को सम्मान जनक स्थान दिलाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैदिक युग से आज तक के बदलते परिवेश में महिलाओं ने समाज एवं परिवार के प्रबंधक और विकास में अपनी सकारात्मक भागीदारी सिद्ध की है। वैसे भी किसी राष्ट्र, राज्य एवं समुदाय के सतत् विकास एवं उन्नति के लिए प्रत्येक वर्ग धर्म, लिंग, तथा स्तर के लोगों की सक्रिय भागीदारी तथा किये गए कार्य के परिणाम स्वरूप लाभों का न्यायिक एवं अनुपातिक वितरण अति आवश्यक है। महिलाएँ ग्रामीण आर्थिक विकास एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय एवं अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को स्वीकार किया जा रही है। आज महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो या उद्योग धंधो का कोई भी ऐसा जगह नही है जहाँ महिलाओं ने अपनी कामयाबी की बुलंदियों को नही छुआ। महिलाओं के सक्रिय होने और उनके आगे बढ़ने से उनमे आत्म विश्वास भी आया है। उनमें आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल हो गई है लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसी कई महिलाएँ है जो हर तरह से योग्य होने के बावजूद अधिक उचाई तक नहीं पहुँच पाई।

वैश्विकरण के दौर में नारी की मुश्किलें बढ़ी है। बढ़ते मशीनीकरण से नौकरियों में असुरक्षा, कम वेतन, परम्परागत हुनर की अनदेखी, विदेशी कंपनी की मनमानी शर्ते, उनके समक्ष हमारे कानूनों की असमर्थता, बढ़ता भ्रष्टाचार ये परिस्थितियाँ औरत को न्याय दिलाने में असमर्थ है। वैश्विकरण के कारण विकसित देशो में महिलाएँ निर्धनता एवं भेदभाव का शिकार हो रही है। एक ही तरह के कार्य में पुरूष व महिला में भेदभाव किया जा रहा है। दोनों के वेतन में भिन्नता है। आज भी महिलाएँ अशिक्षा, कुपोषण और निर्धनता का शिकार हो रही है। आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के श्रम को सीधे उत्पादन से जोड़ा जाय। उसका उत्पादन से सीधा संबंध सुनिश्चित नहीं होता जबकि परोक्ष रूप से उसका श्रम उत्पादन में सहायक होता है। इसी कारण से पुरूष विशिष्ट हो गए और औरत महत्वहीन रह गई। वैश्विकरण एक तरह से आर्थिक सीमाओं का समापन है। विभिन्न देशों में नई आर्थिक नीतियों से वैश्विकरण की प्रकिया पर प्रभाव पड़ा है। 1991 में भारत में जो नई औद्योगिक नीति आयी उसके नीजिकरण, उदारीकरण व वैश्विकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है। वैश्विकरण से जनता के विविध क्षेत्र प्रभावित हुए है जो जीवन से जुड़े है। वैश्विकरण के शिकार वे विकास उन्नमुख देश है जो ऋण के बोझ तले दबे हुए है। देश के ग्रामीण आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान का गहरा प्रभाव पड़ा है। मानव विकास विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विकरण में विकास एवं सुधार की तुलना में महिलाओं का पतन ही किया है। ज्यादातर महिलाएँ असंगठित संस्थाओं में काम करती हैं और नियमहीनता के चलते शोषण का शिकार होती है। पितृसतात्मक समाज ने महिलाओं पर घातक प्रभाव डाला है। महिलाओं का इस व्यवस्था में सदियों से शोषण होता आ रहा है। इसके अलावा कार्य करती हुई महिलाओं का जीवन स्तर पूरी तरह खराब पोषाहार व स्वास्थ में गिरावट के कारण प्रभावित हुआ है। इस तरह महिलाएँ दोहरी शोषण का शिकार है।[2]

संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव दिये हैं जैसे स्त्री पुरूष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन कानून का प्रावधान किया जाय। महिलाओं को संसाधनों, रोजगार, बाजार एवं व्यापार सूचना व टेक्नोलॉजी में बराबरी का हिस्सा मिले। कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न एवं अन्य तरह के भेदभाव को देर किया जाय। गरीब महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान किया जाय, कम खर्चे के घर, भूमि, प्राकृतिक संसाधन उधार एवं अन्य सेवाएँ दी जाय। पर्यावरण संबंधी नीतियों के निर्माण में औरत को शामिल किया जाय। ग्रामीण आर्थिक विकास की जिम्मेदारी महिलाओं को सरकार में उच्च स्तर पर सौपा जाय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में हर वर्ष 1.5 करोड़ लड़कियाँ जन्म लेती है जिनमें से 25 लाख 15 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाती है। इन लड़कियों के मौत का कारण समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार है। वैश्विकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा उद्योंगों में विदेशी विनियोग में वृद्धि तो हुई है पर रोजगार में उस अनुपात में वृद्धि नही हुई है। 1990–91 में महिलाओं की बेरोजगारी 3.1 प्रतिशत से बढ़ कर 1994–95 में 5.5 प्रतिशत हो गई थी जो आज भी जारी है। अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था असंगठित क्षेत्र में की गई जहाँ रोजगार में असुरक्षित होना तथा निम्न मजदूरी देना तय है। उद्योग–धंधों में महिला श्रमिको की मांग श्रम की कार्य क्षमता और कार्य की आवश्यकता के अनुकुल की जाती है। इससे स्पष्ट है कि महिलाकर्मियों के रोजगार में स्थायित्व नहीं होता। महिला श्रमिकों को कम मजदूरी के साथ वांछित अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता है। महिलाओं के घरेलू कार्य को कार्य के श्रेणी में नहीं माना जाता है। महिलाओं के कार्य को कार्य की संज्ञा भी दी जाती है जब वे बाहर जाकर कुछ कार्य करती है व उसके बदले धन पाती है। साथ ही ऐसी महिलाओं को जीवन की आवश्यकताओं को भी जुटाने के लिए मेहनत

ग्राम– गोटही, पो.– अटहर, जिला –दरभंगा (बिहार)

करनी पड़ती है। भारतीय प्राकृतिक स्रोतों का वैश्विक शोषण के लिए मुक्त कर देना कई चुनौतियों को खड़ा कर रहा है। उपभोक्तावाद, हिंसा तथा स्वछंद यौन व्यवहार आदि का समाज व महिलाओं पर घातक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं पर बढ़ती हुई घरेलू हिंसा भी चिंतनीय है। महिलाओं के प्रति यौन अपराध उनकी स्थिति को और भयानक बना रहा है। गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 47 मिनट पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है या अपहरण होता है। पति या निकट संबंधी द्वारा महिलाओं की हत्या या यौन शोषण होना आम बात हो गई है। दहेज के कारण 17 महिलाएँ रोज मरती है। बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद महिलाओं का अवमूल्यन कर रहा है। इस तरह वैश्विकरण जहाँ विकासशील देशों के विकास को सुनिश्चित करता है वहीं समाज की आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को अधिक उत्पीड़ीत करने का प्रयास करता है। इससे महिलाओं का निरंतर ह्रास हुआ है। अतः वैश्विकरण जहाँ कुछ मायनों में महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है तो वहीं कुछ मामलों में हानिकारक भी सिद्ध हुआ है।[3]

देश के आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान पर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर सही बात कहीं है। इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करने में शायद देश का पुरूष प्रधान समाज आज भी हिचकता है। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि खेतों से लेकर कुटीर उद्योग तथा लधु उद्योगों में उत्पादन कार्य में महिलाएँ नियमित और बेहतर तरीके से योगदान दे रही हैं। देश की खेती की अगर बात करें तो खेतों से अगर हम महिलाओं की भूमिका को अलग कर दे तो आधे से अधिक खेतों में अनाज का उत्पादन हीं नहीं हो पाएगीं। इसके अलावा महिला और शिशु स्वास्थ्य के साथ–साथ दूर–दराज के इलाकों में बिमार लोगों के ईलाज और प्रसव के मामले में भी सिर्फ और सिर्फ महिलाएँ ही सार्थक भूमिका अदा कर रहीं है। देश और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्युदर कम करने के मामले में भी दरअसल सारा श्रेय महिलाओं को ही जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की तारीफ की इसलिए जब प्रधानमंत्री इस आधी आबादी की सराहना करते हैं तो दरअसल वह देश के ग्रामीण आर्थिक विकास की सबसे बड़ी सामाजिक ताकत को ही उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। श्री मोदी ने महिला स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों से ऐप के जरिये संवाद में कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज देश भर की एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं से संवाद करने का मौका मिला है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि खेती हो, डेयरी उद्योग हो या कोई अन्य क्षेत्र महिलाएँ अपने हुनर से सफलता हासिल करने में पीछे नहीं हैं। श्री मोदी ने महिलाओं को स्वंय की शक्तियों को, अपनी योग्यता और हुनर को पहचानने का अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है। देश के हर क्षेत्र में महिलाएँ काम कर रही हैं। उन्होंने सही कहा है कि आज किसी भी क्षेत्र को देखें तो वहाँ महिलाएँ बड़ी संख्या में काम करती हुई नजर आयेंगी।[4]

देश के कृषि और डेयरी उद्योग की तो महिलाओं के योगदान के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण अंचलों, छोटे उद्यमियों और श्रमिकों के लिए स्वंय सहायता समूह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह समूह एक तरह से गरीबों और खासकर महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने हैं। श्री मोदी ने स्वंय सेवी समूहों की कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह समूह महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत बनाने में भी अहम योगदान दे रहें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना और अन्य योजनाओं के तहत देश भर की ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतों में करोड़ों ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँचने और उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाये हैं। उनकी सरकार के चार साल के कार्यकाल में पहले की तुलना में चार गुना अधिक स्वंय सहायता समूह बने और इतनी ही अधिक महिलाओं को इससे जोड़ा गया है। देश की महिलाओं ने खुद को स्वावलंबी बनाने की पहल की है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाल के दिनों में महिलाओं ने खुद को स्वावलंबी बनाने की कोशिशों के बीच अपने परिवार को भी एक मजबूत आर्थिक संबल प्रदान किया है। सरकार द्वारा चलाये गये उज्जवला योजना की निरंतर शिकायतों के बाद भी सच्चाई यह है कि रसोई के धुएँ से मुक्त महिलाओं की उत्पादकता बढ़ी है। इस उत्पादकता चाहे किसी की भी रहे, महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा के परिवार की महिला ही एकमात्र इकाई है, जो खुद के लिए कभी कुछ नहीं करती। उसकी सोच में सदैव पूरा परिवार शामिल होता है। इसलिए जब हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो दरअसल हम पूरे समाज को आगे बढ़ाने की सोच रहे होते हैं।[5] इस स्थिति में अब बेहतर तो यही होगा कि संसद में लगातार बाधित होते महिला आरक्षण बिल को भी आगे बढ़ने का रास्ता मिले, जिससे उन्हें देश की राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा करने तथा खुद को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने का अवसर मिल पायेगा। वैश्विक अवधि में देश के ग्रामीण आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा है।

संदर्भ स्रोत

1. लार्ड एक्टन, लेटर टू मेंडेल क्रेघटन, 5 अप्रैल 1887, लंदन, यू.के., पेज नं. 3
2. एस. गुहा एवं एस. पॉल (1997), करप्शन इन इण्डिया : एजेंडा फॉर एक्शन, विजय बुक्स, दिल्ली, पेज नं. 16
3. बी. चंद्रा (2004), द कॉलोनियल लीगेसी, बी. जालान की द इंडियन इकोनामीः प्राब्लम एण्ड प्रासपेक्टस, पेंगुइन, नई दिल्ली, पेज नं. 14
4. नारंग, ए.एस.रू (2013) ए ''भारतीय शासन एवं राजनीति'' नई दिल्ली, पेंगुइन, 9
5. बासुकी, नाथ, चौधरी एवं युवराज कुमाररू (2011)''भारतीय शासन एवं राजनीति'', नई दिल्ली, पेंगुइन, 23